म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन,भोपाल.

क्रमांक–बी–6 / नियमन / होलोग्राम / 397 / 3495 भोपाल,दिनांकः– 18/ 02 / 2015

–:आदेशः–

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा उपविधि सन् 2000 के प्रावधान अनुसार जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्रों पर (राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर उपयोग किये जाने वाले पृथक–पृथक अनुज्ञा पत्रों पर) इस आदेश के जारी होने तक उपयोग हो रहे होलोग्राम के स्थान पर नये डिजाईन के साथ मुद्रित ''नवीन'' होलोग्राम लगाकर दिनांक 01.03.2015 से अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना इस आदेश से अनिवार्य किया जाता है।

2– वर्तमान में प्रचलित होलोग्राम युक्त अनुज्ञा पत्र प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा दिनांक 28.02.2015 तक ही (राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर कृषि उपज के परिवहन के लिये) जारी किये जा सकेंगे।

3– दिनांक 01 मार्च 2015 से पुराने (वर्तमान में प्रचलित होलोग्राम युक्त) अनुज्ञा पत्र प्रदेश की किसी भी कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा जारी नहीं किये जायेंगे।

4– ऐसी समस्त अनुपयोगित अनुज्ञा पत्र की किताबें जिन पर पुराने होलोग्राम चस्पा हैं, को कृषि उपज मंडी समिति लेखबंद करते हुए अपने आंचलिक कार्यालय में दिनांक 01 मार्च, 2015 तक वापस जमा करायेंगी और इसकी पावती भी प्राप्त करेंगी।

5– नये होलोग्राम युक्त अनुज्ञा पत्र की किताबें, आंचलिक कार्यालय द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों की उनकी आवश्यकता अनुसार दिनांक 26.02.15 तक आवश्यक रूप से प्रदाय कर दी जायेगी।

6– कृषि उपज मंडी समितियों से पुराने होलोग्राम युक्त अनुपयोगी अनुज्ञा पत्र की प्राप्त किताबों को आंचलिक कार्यालय (प्रत्येक अनुज्ञापत्र पर) निरस्तीकरण की सील लगाते हुए भण्डार शाखा में लेखबंद करेंगी। यह कार्य दिनांक 03 मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाये।

7– आंचलिक कार्यालय के पास समस्त पुराने अनुपयोगी होलोग्राम जिसको कि अनुज्ञा पत्र की किताबों पर चस्पा नहीं किया गया है, को लेखबंद करते हुए म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल की भण्डार शाखा को जमा करते हुए पावती प्राप्त की जायेगी। यह कार्य भी दिनांक 05 मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाये।

8— म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की भण्डार शाखा के द्वारा ऐसे प्राप्त समस्त पुराने अनुपयोगित होलोग्राम जो कि आंचलिक कार्यालयों से वापस प्राप्त हुए हैं, को लेखबंद करते हुए नियमानुसार इनके निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

कमांक–बी–6 / नियमन / होलोग्राम / 397 / 3496 भोपाल, दिनांकः– 18 / 02 / 2015
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय............................ की ओर प्रेषित।
2— सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ... जिला.. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3— अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल मुख्यालय की ओर प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.